न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 140/2017 दायरा दिनांक : 17/10/2017

उनवान

1– भागीरथ पुत्र भंवरलाल, जाति ब्राह्मण, पेशा रिटायर पटवारी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0 मृतक कायम मुकामान :–

1/1– मंगलेश कुमार पुत्र भागीरथ, आयु 50 वर्ष, जाति ब्राह्मण, पेशा रिटायर पटवारी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

1/2– महेश कुमार पुत्र भागीरथ, आयु 42 वर्ष, जाति ब्राह्मण, पेशा रिटायर पटवारी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

1/3– अमर दीप पुत्र भागीरथ, आयु 32 वर्ष, जाति ब्राह्मण, पेशा रिटायर पटवारी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

1/4– गोपाल पुत्र भागीरथ, आयु 30 वर्ष, जाति ब्राह्मण, पेशा रिटायर पटवारी, निवासी डग, तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज0

1/5– श्यामादेवी पुत्री भागीरथ, पत्नी रामदयाल शर्मा आयु 58 वर्ष, जाति ब्राह्मण, पेशा रिटायर पटवारी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1/6– शशिकला पुत्री भागीरथ पत्नी मुन्नालाल शर्मा, आयु 56 वर्ष, जाति ब्राह्मण, पेशा रिटायर पटवारी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

1/7– रजनी बाला पुत्री भागीरथ पत्नी गिरीश शर्मा, आयु 40 वर्ष, जाति ब्राह्मण, पेशा रिटायर पटवारी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

1/8– प्रेम कुंवर विधवा पत्नी भागीरथ जाति ब्राह्मण पेशा रिटायर पटवारी निवासी डग तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– सुन्दर लाल आत्मज माणक चन्द जैन, जाति महाजन, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राजस्थान

2– श्यामू बाई पत्नी बाबूलाल, जाति मेंहर, निवासी मजरा डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राजस्थान

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए0के0जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री राकेश कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.01.2021

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – /प्रा0पत्र/2017 निर्णय दिनांक 13.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 क्रम 1 सुन्दरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दौराने कार्यवाही राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प डग में रखा गया, और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.07.2017 को रेस्पो0 क्रम 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है जिसकी अप्रसन्नता से अपीलांट (अप्रार्थी क्रम 1 भागीरथ) सम्मानीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रह सार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.07.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय के द्वार में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट क्रम 2 को नोटिस दिये बिना तथा उन्हें अन्य किसी प्रकार से सूचित किये बिना उक्त आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सार्वभौमिक सिद्धान्त एवं सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से उक्त निर्णय हर तरह से कानूनन निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलांट की आराजी 2223/1 की 3 बीघा 02 बिस्वा एवं 2223/2 की 3.02 बिस्वा में आने के लिये 2020 की 0.13 बिस्वा आराजी में से 0.03 एवं खसरा नम्बर 2232 की 1.07 बिस्वा आराजी सम्पूर्ण में से 12 फिट चौडा एवं 611 फिट लम्बा कुल 7332 वर्गफीट रास्ता जो कि 37,200/–रूपये मुआवजा अदा करने पर उक्त रास्ते की स्वीकृति दी जाती है और उक्त निर्णय विधि के विरूद्ध होने के कारण हर तरह से निरस्त होने

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

योग्य है। वाके ग्राम डग में खाता संख्या 1576 की खसरा नम्बर 2223/2 की 1.02 बीघा एवं खाता संख्या 1182 की खसरा नम्बर 2223/1 की 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 2 किता 6 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। वाके ग्राम डग में खसरा संख्या 2222 की 6 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा संख्या 2220 की 13 बिस्वा एंव खसरा संख्या 2221 की 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी स्थित है। रेस्पो0 नं0 1 सुन्दर लाल व अपीलांट एवं अन्य काश्तकार उनके खेत पर जाने के लिये सनातन काल से खसरा नम्बर 2263, 2064, 2208, 2224, एवं 2232 में होकर आम रास्ते पर आते जाते है एवं अपीलांट भागीरथ के खाते व कब्जे की आराजी 220 की 0.03 एवं 2232 की 1.07 में पूर्व में एवं वर्तमान में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त जेर अपील निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। धारा 251(ए) के सैकिण्ड में यह प्रावधान अंकित किया गया है कि लघुतम या निकटतम आम रास्ता में से होकर एक नया मार्ग 30 फुट से अधिक चौडा न हो बनाने के लिये या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अत्यधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिये उस अधिकारी को जो उस भूमि को धारिज करता है उसमें होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मन्जूर किया जावे। ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जावे अनुज्ञात कर सकेगा। जबकि उक्त प्रकरण में दक्षिण में परम्परागत आम रास्ते से 230 फुट एवं उत्तर पूर्व में रेस्पो0 नम्बर 1 सुन्दरलाल के चाचा मोतीलाल की और 172 फुट का रास्ता पूर्व से बना हुआ है। इस कारण से अकारण ही नया रारता बनाने का कानूनी प्रावधान नहीं

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.10.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । हमारी जमीन में से कोई रास्ता नहीं है । वैकल्पिक रास्ता मौजूद है यदि नहीं होता तो रास्ता निकालते । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका देखना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 14.05.2017 वेज 294 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उचित एवं सही निर्णय पारित किया है । आराजी पर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है । रिकोर्ड के अनुसार सही रास्ता दिया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में स्पष्ट किया कि मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट के वादग्रस्त आराजी ग्राम डग के खसरा नं. 2223 पर पहुंचने हेतु पश्चिम दिशा में खसरा नं. 2262 गै. मु. नाला होने से आना जाना संभव नहीं है। अतः सुलभ मार्ग खसरा नं. 2223 के पूर्व दिशा में खसरा नं. 2220 व 2232 से ही संभव है। निर्णय से स्पष्ट है कि वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से सुलभ मार्ग का चयन कर खातेदार को अपने खेत में आने जाने का रास्ता दिया गया है जो उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा